9

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट–रीवा (म0प्र0)

द्वारा आज दि

प्रस्तुत

III/विविध/सीधी/भू.रा/2017/4168

उत्तरार्थी क्रमांक–02 ता 06 की ओर से पेश आवेदन पत्र

द्वितीय राजस्व अपील क्रमांक–2445/II/2013

आदेश दिनांक–15.09.2017

1. **भैयालाल तनय स्वर्गीय राम मनोहर स्वीपर**
2. झल्ली वेवा पत्नी राममनोहर स्वीपर,

दोनो निवासी ग्राम–कोतरकला, तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

.... **अपीलार्थीगण**

बनाम्

1. मध्यप्रदेश शासन
2. गंगा प्रसाद वानी तनय स्वर्गीय रामलक्ष्मण वानी, 74वर्ष
3. अयोध्या प्रसाद वानी तनय स्वर्गीय रामलक्ष्मण वानी, 70वर्ष
4. सीताशरण वानी तनय स्वर्गीय रामलक्ष्मण वानी, 55वर्ष
5. कृष्ण कुमार वानी तनय स्वर्गीय रामलक्ष्मण वानी, 52वर्ष
6. श्यामलाल वानी तनय स्वर्गीय रामलक्ष्मण वानी, 50वर्ष

अनावेदक क्रमांक–2 ता 6 सभी निवासी ग्राम–कोतरकला, तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0) .... **अनावेदकगण/उत्तरार्थीगण**

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक–44/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक–16.05.2013 के विरुद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) अधीन द्वितीय अपील

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 एवं सहपठित धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/विविध/सीधी/भू.रा/2017/4168

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
11-01-2018	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि इस न्यायालय में अपील कमांक 2445–दो/2013 में पारित आदेश दिनांक 15.9.17 में लिपिकीय त्रुटि से आदेश के चरण कमांक 4 के लाईन कमांक –4 में 438/2 के स्थान पर 438 एवं इसी चरण के द्वितीय पैरा के लाईन कमांक–5 में 437 के स्थान पर 737 लिपिकीय त्रुटि से टंकित हो गया है। इसी प्रकार चरण कमांक 5 के लाईन कमांक–5 में 437 के स्थान पर 737 एवं इसी चरण के लाईन कमांक –7 में 438/2 के स्थान पर 848 लिपिकीय त्रुटि की बजह से अंकित हो गया है, जिसे सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया । 2–आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है के चरण कमांक 4 के लाईन कमांक –4 में 438 के स्थान पर 438/2 पढ़ा जावे। एवं इसी चरण के द्वितीय पैरा के लाईन कमांक–5 में 737 के स्थान पर 437 पढ़ा जावे। इसी प्रकार चरण कमांक 5 के लाईन कमांक–5 में 737 के स्थान पर 437 पढ़ा जावे। एवं इसी चरण के लाईन कमांक –7 में 848 के स्थान पर 438/2 पढ़ा जावे । यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	